

अदालत .....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), .....सिवाना .....

1	प्राथी / प्राथीगण राजसिंह उर्फ राजसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना बालोतरा वगैरा (2)	बनाम रावणा जिला	1	विप्राथी / विप्राथीगण पहाड़सिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (8)
---	---	-----------------------	---	---

किस्म मुकदमा.....धारा 212 RT Act.

मुकदमा नंबर:-178/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.09.2024	<p>प्राथी राजसिंह उर्फ राजसिंह वगैरा की ओर से वकील श्री नेहपालसिंह ने यह प्रार्थना पत्र विप्राथी पहाड़सिंह वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	
18.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथीगण वकील उपस्थित। विप्राथीगण की तलबी हेतु नोटिस पेश करे। नोटिस पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आइंदा 26.12.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना,</p>	
26.12.24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। बार एफॉरिसरसन द्वारा रेफरेंस रखा गया है। अतः इत्यादि होकर पत्रावली आइंदा 20.02.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">dr</p>	
20.02.25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठालीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इजत्वा होकर पत्रावली दिनांक 28.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">dr</p>	
28-02-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राथीगण व उनके वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय में प्राथीगण व विप्राथीगण वकील को छुपक-छुपक समय में तीन-तीन बार क्षमाज दिलवाई गई, मगर उनमें से कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा प्राथीगण का आपेना पत्र अफम लागू व अफम पैरवी में रवारिज किया जाता है। पत्रावली कुल्ल शमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना</p>	

